


मुद्रा समय पाल
वि० ३३ पार नं० वि०
कि० ३३ (प्रथम सिद्ध नगर)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 जनवरी, 1991

माघ 11, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग-2

संख्या 556 (एच०आई०)/36-2-115¹(एच०आई०)-89

लखनऊ, 31 जनवरी, 1991

अधिसूचना

विधाय

प० आ०-43

चूंकि भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या बी०-23030/1/85-700ए, दिनांक 17 जुलाई, 1985 द्वारा उद्योग में वर्तमान मजदूरी के ढांचे के अग्रतर पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये और आनुसंगिक सिफारिशें करने के लिये भी चीनी उद्योग के लिये तृतीय मजदूरी बोर्ड की स्थापना करने का विनिश्चय किया ;

और चूंकि उक्त मजदूरी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया और संकल्प संख्या बी०24014/21/89-डब्लू० बी०, दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 द्वारा उसके उक्त मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कतिपय उदात्तरों के साथ स्वीकार कर लिया ;

और चूंकि भारत सरकार को उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के विषय पर दिनांक 23 अक्टूबर, 1989 को हुए विदलीय सम्मेलन में विचार किया गया जिसमें सेवायोजकों अर्थात् इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा, कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मचारियों के एसोसियेशनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे;

और चूंकि 26 सितम्बर, 1990 को हुए एक अन्य त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा उक्त मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सेवायोजकों और कर्मचारियों के बीच सर्वसहमति लाने के लिये अन्ततः कुछ अनिश्चित विषयों पर विचार किया गया ;

और चूंकि राज्य सरकार की राय में, लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने और सेवायोजन को बनाये रखने के लिये भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकार की गयी समस्त मजदूरी बांड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना आवश्यक था ;

अतएव, अब, संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक शगड़ों का ऐनट, 1947 (संयुक्त प्रांतीय ऐनट संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते, राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं और खण्ड ऐनट की धारा 19 के निर्देश में निर्देश देते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करने दी जायेगी।

आदेश

व्याप्ति

1---यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा :

(एक) इस राज्य के समस्त वैक्यूमपैन चीनी के कारखानों पर ;

(दो) वैक्यूमपैन चीनी उद्योग के समस्त कर्मचारियों पर जो अद्यतन यथासंशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में पद "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ;

(तीन) समस्त कर्मकारों पर जो किसी कारखाने के संविदाकार द्वारा---

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथा परिभाषित निर्माण प्रक्रिया है या ;

(ख) निर्माण प्रक्रिया के लिये प्रयुक्त मशीनों या भूगृहादि के किसी भाग को साफ करने ; या

(ग) किसी अन्य प्रकार के कार्य से जो निर्माण प्रक्रिया से आनुपगतिक या संबंधित हो या निर्माण प्रक्रिया जिनके अन्तर्गत कारखाने के भूगृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री और तैयार उत्पादों का निपटाना लादना या उतारना भी है, का विषय हो ; या

(घ) चीनी के कारखाने की मशीनों, भवनों या किसी अन्य पूंजीगत परिस्मृतियों की मरम्मत और अनुरक्षण ;

से संबंधित कार्य के लिये लगाये गये हों ;

(चार) समस्त निकालीय पैदा मेडिकल और शैक्षिक कर्मचारियों पर ;

(पांच) कारखानों में सम्बद्ध आवासीय कालोनी में कार्य के लिये नियोजित समस्त व्यक्ति भी इस आदेश के प्रयोजनों के लिये "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित समझे जायेंगे ;

किन्तु यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा---

(क) खांडसारी और गुड़ परिष्करणशाला और सहयुद्ध उद्योग जैसे पोटैशुम रिफ्ट पावर अल्कोहल और कन्फेक्शनरी का निर्माण और गन्ने के फार्म ;

(ख) कारखाने के भूगृहादि के बाहर के कार्यों और गन्ने की फसल के काटने और या परिवहन में नियोजित टेका श्रमिक ;

(ग) शिक्षु अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) द्वारा नियंत्रित "शिक्षु" ;

(घ) कारखाना श्रम कल्याण अधिकारी जिनकी वेतन श्रेणी अन्य भत्ते और सेवा शर्तें यू 0 पी 0 फेडरल वेलफेयर आफिसर्स रुल्स, 1955 द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे किन्तु कोई कल्याण अधिकारी इस आदेश के अधीन पर्यवेक्षी-ख श्रेणी में काम की मजदूरी नहीं पायेगा।

मजदूरी डांचा

3---राज्य में समस्त वैक्यूमपैन चीनी के कारखानों अपने कर्मकारों को निम्नलिखित वेतनमानों में वेतन देंगे:

कर्मकारों की श्रेणी

पुनरीक्षित वेतनमान

क---आपरेटिवज

रु०

1---अकुशल	..	800-10-900-15-1050
2---अर्द्धकुशल	..	900-15-1050-20-1250
3---कुशल "ख"	..	1050-25-1300-30-1600
4---कुशल "क"	..	1200-30-1500-35-1850
5---अतिकुशल	..	1300-35-1650-40-2050

ख---लिपिक

6---श्रेणी-चार	..	1050-25-1300-30-1600
7---श्रेणी-तीन	..	1200-30-1500-35-1850
8---श्रेणी-दो	..	1300-35-1650-40-2050
9---श्रेणी-एक	..	1400-40-1800-45-2250

13

कर्मचारियों की श्रेणियाँ	पुनरीक्षित वेतनमान
ग--पर्यवेक्षी	रु 0
10--श्रेणी-ग	1400-40-1800-45-2250
11--श्रेणी-ख	1500-45-1950-50-2450
12--श्रेणी-क	1700-60-2300-75-3050

3--सम्बन्धित श्रेणियों के कर्मचारों पर प्रयोज्य उपर्युक्त वेतन श्रेणियों पैरा-5 में दी गई फिटमेंट योजना के अनुसार अनुमन्य कारायी जायेगी ; प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) कर्मकार जब भी चीनी के कारखाने से किसी अन्य सहवद्ध उद्योग जिसके अन्तर्गत गन्ने के फार्म भी है, में स्थानान्तरित किये जायें तब वे वही मजदूरी पायेंगे जो चीनी के कारखाने में या फार्मों में या उस सहवद्ध उद्योग में है, इसमें जो भी उच्चतर हो ।

(ख) ऐसे कर्मकार भी, जो किसी सहवद्ध उद्योग जिसके अन्तर्गत चीनी के कारखाने के स्वामित्वाधीन गन्ने के फार्म भी हैं, में आंशिक रूप से कार्य करने के लिये और अंशतः चीनी के कारखाने में कार्य करने के लिये नियोजित हों, वही मजदूरी पायेंगे जैसा वे सहवद्ध उद्योग या चीनी के कारखाने में पा रहे थे, इसमें जो भी उच्चतर हो ।

(ग) ऐसे कर्मकार को, जो कर्मकार के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये सविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी पर या अस्थायी या आंशिक आधार पर किसी चीनी के कारखाने द्वारा नियोजित किया गया हो, बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत न्यूनतम मासिक कुल मजदूरी (न्यूनतम मूल मजदूरी + स्विपर भत्ता यदि कोई हो + परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) को 26 से विभाजित करके संगणित की गयी प्रति दिन की दर पर पुगतान किया जायेगा ।

(घ) चिकित्सा अधिकारी को या तो बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत पुनरीक्षित मजदूरी को मानक्रम या अपने वर्तमान मजदूरी के मानक्रम का विनाश करने की अनुमति दी जायेगी ।

उक्त चिकित्सा कर्मचारीगण, जैसे कम्पाउण्डरों, नर्स, ड्रेसर और मिडवाइच का वेतन मानक व्यवसायिक नामावली में उल्लिखित उनकी श्रेणी के अनुसार पुनरीक्षित मानक्रम में निर्धारित किया जायेगा । अन्य सुविधाओं, जैसे निःशुल्क बर्दी, निःशुल्क वासस्थान और विद्युत या अन्य भत्ता जैसे बर्दी भत्ता पाने वाले कर्मचारी उन्हें पाते रहेंगे ।

श्रेणियाँ

4--कर्मचारों का फिटमेंट निम्नलिखित श्रेणियों में किया जायेगा :

आपरेटिव्ज

- (क) अकुशल
- (ख) अर्द्धकुशल
- (ग) कुशल-ख
- (घ) कुशल-क
- (ङ) अति कुशल

लिपिक

- (च) लिपिक--श्रेणी-चार
- (छ) लिपिक--श्रेणी-तीन
- (ज) लिपिक--श्रेणी-दो
- (झ) लिपिक--श्रेणी-एक

पर्यवेक्षी

- (य) पर्यवेक्षी-ग
- (ट) पर्यवेक्षी-ख
- (ठ) पर्यवेक्षी-क

5--(क) मानक व्यवसायिक नामावली की सूची जिसके विरुद्ध फिटमेंट किया जाना है, परिशिष्ट-एक पर है।

(ख) व्यवसायिक नामावली की सूची उत्तर प्रदेश में विभिन्न चीनी के कारखानों में सामान्यतया वर्तमान व्यवसायों को दर्शाती है । इस सूची में किसी पद के सृजन का उल्लेख नहीं है, जहाँ वह वर्तमान नहीं है ।

स्पष्टीकरण--द्वितीय मजदूरी बोर्ड की नामावली में दिये गये कुछ व्यवसायों को या तो निकाल दिया गया है या अन्य व्यवसायों के साथ मिला दिया गया है ।

मुख्य सचिव पाल

फिटमेंट विभाग

कानपुर (सिद्धनगर)

तौलाई भत्ता

6--राज्य में चीनी के कारखानों में निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मकार विशेष तौलाई भत्ता पाने के हकदार होंगे, जैसा उनके सामने दर्शाया गया है।

श्रेणी	तौलाई प्रतिमाह
1--पल्लेदार/हमल	₹ 40
2--गेस्ट हाउस अटेंडेंट	₹ 25
3--हाई स्पीड आटोमेटिक सेन्ट्रीफ्यूगलों में निष्कृत सेन्ट्रीफ्यूगल अपरेटरों से भिन्न सेन्ट्री-फ्यूगल मजदूर	₹ 25

टिप्पणी--मूल मजदूरी निर्धारित करते समय तौलाई भत्ते का न तो ध्यान दिया जायेगा और न उसे उसके भाग के रूप में किसी प्रक्रम पर लिया जायेगा।

स्थिर भत्ता

7-- (क) उपर्युक्त मजदूरी के मानक्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मकारों को निम्नलिखित स्थिर भत्ता अनुमन्य होगा :--

(क) अकुशल	267 रुपया प्रतिमाह
(ख) अर्द्धकुशल	177 रुपया प्रतिमाह,
(ग) कुशल "ख"	55 रुपया प्रतिमाह
(घ) लिपिक वर्गीय-चार	

(ख) उक्त श्रेणी में समस्त कर्मकारों के लिये स्थिर भत्ता देना होगा चाहे उनकी व्यक्तिगत मूल मजदूरी कुछ भी हो और यह स्थिर भत्ता इस अधिमूचना के अधीन अधिमूचित पुनरीक्षित मानक्य के प्रवर्तन में रहने तक स्थिर रहेगा और समस्त प्रयोजनों के लिये कुल मजदूरी का भाग बनेगा।

परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

8--परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की योजना निम्न प्रकार होगी :--

(क) परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान औद्योगिक कर्मकारों के लिये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1960=100) के आधार पर किया जायेगा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर 30 जून, 1990 तक एक रुपया पैंसठ पैंसा प्रति अंक होगी। 1 जुलाई, 1990 से अर्थात् 853 अंकों के ऊपर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर की संगणना एक रुपया पच्चासी पैंसा प्रति अंक की दर से की जायेगी।

(ख) परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही आधार पर अर्थात् 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को किया जाता रहेगा। 1 जुलाई से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिये पूर्ववर्ती तीन माह के औसत मूल्य सूचकांक अर्थात् अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर मास के सूचकांकों के औसत पर विचार किया जायेगा। 1 अप्रैल से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के पूर्ववर्ती माहों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जायेगी। 1 जुलाई से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना फरवरी, मार्च और अप्रैल के पूर्ववर्ती माहों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जायेगी और इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना मई, जून और जुलाई के पूर्ववर्ती माहों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जायेगी।

फिटमेंट

9--(क) प्रत्येक कर्मकार को उसके संबंधित श्रेणी में दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को देय मूल मजदूरी में पचहत्तर रुपया और बीस पैंसा या मूल मजदूरी का साढ़े बारह प्रतिशत इसमें जो भी उच्चतर हो, की वढ़ावती दी जायेगी और उसे पुनरीक्षित मानक्य में फिट किया जायेगा।

(ख)--सम्बंधित श्रेणी में पुनरीक्षित मानक्य में इस प्रकार निर्धारित कर्मकारों के मूल मजदूरी का निर्धारण पुनरीक्षित मानक्य में एक वेतनवृद्धि देकर किया जायेगा।

(ग) यदि पूर्ववर्ती प्रस्तरो में दी गयी वृद्धि के अनुसार निकाली गयी कुल धनराशि पुनरीक्षित मजदूरी क्रम के न्यूनतम से कम बैठती है, तो पुनरीक्षित मूल मजदूरी का निर्धारण उस मानक्य के न्यूनतम पर किया जायेगा। यदि कुल धनराशि बढी है जो पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य में किसी प्रक्रम पर है तो पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य का निर्धारण उस प्रक्रम पर किया जायेगा। यदि वह पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य में किन्हीं दो प्रक्रमों के बीच पड़ता है तो पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य का निर्धारण उस मानक्य में अगले उच्चतर प्रक्रम पर किया जायेगा।

(घ)--कर्मकार 1 जुलाई, 1990 से अपने-अपने मानक्य में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि भी पायेंगे। अगली वेतन-वृद्धि 1 अक्टूबर, 1990 को देय होगी।

(ङ) यदि सीजन और आफ-सीजन के बीच काम की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो कर्मकार द्वारा किये गये बेहतर काम की श्रेणी और मजदूरी के मानक्य पर पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य में फिटमेंट के शिथे विचार किया जायेगा किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि वह इस लाभ का हकदार नहीं होगा यदि उसने कम से कम एक पूर्ण सीजन या एक पूर्ण आफ-सीजन के लिये उच्चतर श्रेणी में कर्तव्य का सम्पादन नहीं किया है।

102

(च) यदि रिजर्विग कर्मकार से भिन्न कर्मकार को वैकल्पिक और नियमित रूप से दो विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य का आवंटन किया जाता है तो उसे इन दो श्रेणियों में उच्चतर श्रेणी का पदनाम और मजदूरी मानक इस शर्त पर दिया जायगा कि वह निम्नतर श्रेणी के लिये विहित कर्तव्यों का पालन करने से इनकार नहीं करेगा।
(छ) वर्तमान पदधारी भी जिसके पास पदों के लिये अब निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव नहीं है, पुनरीक्षित मानक का हकदार होगा।

दृष्टान्त

फिटमेंट का उपर्युक्त फारमूला ऐसे कर्मकार के संबंध में जिसका मानकम 800 रुपये प्रतिमाह से प्रारम्भ होता है, निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है :-

अकुशल श्रेणी के कर्मकारों को अनुमन्य मजदूरी मानकम 30 सितम्बर, 1989 को वर्तमान स्थिति :

(एक) न्यूनतम मूल मजदूरी	340 रु०
(दो) ग्रैजुएटेड महंगाई भत्ता	(+) 80 रु०
(तीन) अन्तरिम वृद्धि	(+) 45 रु०
(चार) 818 अंक के लिये परिवर्तनीय महंगाई भत्ता	(+) 723.50
<hr/>	
30 सितम्बर, 1989 को कुल वेतन	1188.50 रु०

1 अक्टूबर, 1989 को पुनरीक्षित मजदूरी :

(एक) कुल मजदूरी जैसा ऊपर है	1188.50
(दो) 75.20 रुपये या 30 सितम्बर, 1989 को देय मूल मजदूरी का 12 1/2 प्रतिशत, इसमें जो भी उच्चतर हो, जोड़िए	(+) 75.20 रु०
(तीन) 1 अक्टूबर 1989 को पुनरीक्षित श्रेणी की वेतन-वृद्धि	(+) 10 रु०
<hr/>	
योग	1273.70 रु०

(चार) स्थिर भत्ता 267 रुपये और 74 अंकों का परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 122 घटायें अर्थात् 918-744

	(-)	389.10 रु०
<hr/>		
अतिशेष		884.60 रु०

(पांच) 1 अक्टूबर, 1989 को अगले उच्चतर पुनरीक्षित मूल मजदूरी में फिटमेंट वेतन वृद्धि जोड़िए

	(+)	5.40 रु०
<hr/>		
		890.00 रु०

(छ) स्थिर भत्ता जोड़िए

		267.00 रु०
(सात) 1 अक्टूबर, 1989 को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़िये		158.40 रु०
<hr/>		
1 अक्टूबर, 1989 को कुल मजदूरी		1315.40 रु०

30 सितम्बर, 1989 को वर्तमान समस्त कर्मकारों को ऊपर दी गयी प्रक्रिया और संगणना के अनुसार अपन संबंधित वेतनमानों की पुनरीक्षित श्रेणियों में फिट किया जायगा।

(ज) विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों की जिन्होंने 1 अक्टूबर, 1989 को या उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण किया प्रारम्भिक मूल मजदूरी निम्नलिखित होगी :-

	मूल	स्थिर भत्ता
अकुशल	840 रुपये	267 रुपये
अर्धकुशल	945 रुपये	177 रुपये
कुशल-ख	1100 रुपये	55 रुपये
कुशल-क	1200 रुपये	
अति कुशल	1300 रुपये	
लिपिक श्रेणी-चार	1100 रुपये	55 रुपये
लिपिक श्रेणी-तीन	1200 रुपये	
लिपिक श्रेणी-दो	1300 रुपये	
लिपिक श्रेणी-1	1400 रुपये	
पर्यवेक्षी-ग	1400 रुपये	
पर्यवेक्षी-ख	1500 रुपये	
पर्यवेक्षी-क	1700 रुपये	

मुख्य सचिव पाल
निचले
किचन

(झ) ऐसे कर्मकारों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 10397 (एच0 आई0)/36-सी-83 (एच0 आई0)-70, दिनांक 27 नवम्बर, 1970 द्वारा यथा अधिसूचित द्वितीय मजदूरी बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार कुशल "ख" और लिपिक-वर्गीय चार की श्रेणी में थे, दिनांक 1 अक्टूबर, 1989 से पुनरीक्षित मानक्रम में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जायेगी। यह दृष्टान्त में ऊपर वर्णित फिटमेंट प्रक्रिया के अनुसार दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के ऊपर होगी।

(ञ) इस आदेश का प्रभाव यह नहीं होगा कि कोई वर्तमान परिलब्धि, लाभ या सुख-सुविधा जिसके राज्य में चीनी के कारखानों के कर्मकार अब तक हकदार रहे हैं, कम कर दी जायेगी या उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा। यदि उनकी कुल परिलब्धियां इस अधिसूचना के अधीन विहित परिलब्धियों से उच्चतर हैं, तो उनका इस प्रकार भुगतान किया जाता रहेगा और कोई सेवायोजक उन्हें कम नहीं करेगा। इसी तरह, जहाँ कोई कर्मकार निःशुल्क वडी, निःशुल्क वास स्थान, विद्युत् और अन्य लाभों का हकदार है, वहाँ वह उन्हें पाता रहेगा और इन सुविधाओं का समायोजन पुनरीक्षित वेतनमान, स्थिर भत्ता, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदि में नहीं किया जायेगा।

10--रिट्रेनिंग भत्ता

(क) सभी सीजनल कर्मकारों को निम्नलिखित दरों पर रिट्रेनिंग भत्ता दिया जायेगा--

(क) अकुशल कर्मकार	उनकी कुल मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से
(ख) अर्धकुशल कर्मकार	उनकी कुल मजदूरी के 30 प्रतिशत की दर से।
(ग) कुशल, लिपिक वर्गीय, अति कुशल और पर्यवेक्षक	उनकी कुल मजदूरी के 50 प्रतिशत की दर से।

(ख) यदि रिट्रेनिंग भत्ता पाने के हकदार किसी सीजनल कर्मकार की आफ सीजन के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु हो जाय या वह सेवानिवृत्त हो जाय, तो वह अपनी सेवानिवृत्त या मृत्यु के दिनांक तक विहित दरों पर रिट्रेनिंग भत्ता पाने का हकदार होगा।

11--कुशलता (स्किल) की श्रेणियों में वर्गीकरण

समस्त कर्मकारों को परिशिष्ट-एक में मानक नामावली में निर्धारित अर्हताओं, अनुभव और कर्तव्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा।

12--आवास व्यवस्था

पुराने निर्मित मकानों के संबंध में मकान किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी। उनका किराया और विद्युत् प्रभार आदि वर्तमान आधार पर नियंत्रित होता रहेगा। फिर भी यदि कोई सेवायोजक भविष्य में किसी नये मकान का निर्माण करता है तो ऐसे मकानों का किराया परिशिष्ट-दो के अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

13--रिलीविंग कर्मकारों का पारिवारिक

(क) जब किसी निम्न श्रेणी का कोई रिलीवर उच्चतर श्रेणी के कर्मकार को रिलीव करता है, तब वह ऐसी सेवा की अवधि के दौरान उन दरों पर वेतन और अन्य भत्ता पायेगा जो उच्चतर श्रेणी में किसी कर्मकार को देय धन-राशि से कम नहीं होगा।

(ख) यह साप्ताहिक छुट्टियों के प्रयोजन के लिए रिलीवर कर्मकार पर भी लागू होगा।

(ग) नियमित कर्मकारों को रिट्रेनिंग भत्ते का भुगतान करने के प्रयोजनों के लिये, पेंराई सीजन में सेवा की अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी के आसत पर विचार किया जायेगा।

सामान्य

14 (क) वे कर्मकार जो 1 जनवरी, 1988 से 30 सितम्बर, 1989 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए या मर गये या वे कर्मकार जो इस अवधि के दौरान सेवा में आये, स्थायी कर्मकारों के लिये 1,000 रुपये और सीजनल कर्मकारों के लिए 600 रुपये की दर पर संगणित अनुपातिक बनराशि सरकारी अधिसूचना संख्या 6321-(एच आई)/36-2-115 (एच आई)-89, दिनांक 21 नवम्बर, 1989 द्वारा तृतीय मजदूरी बोर्ड की संस्तुतियों को प्रवर्तित करने के लिये दिये गये एक मुश्त भुगतान के वक़ाये के रूप में प्राप्त करेंगे।

(ख) ऐसे कर्मकारों को जो 1 जनवरी, 1988 से 7 वर्ष की लगातार अवधि के लिये उच्चतर श्रेणी पर पदोन्नति नहीं पाते, 7 वर्ष की सेवा के अन्त में पुनरीक्षित मानक्रम में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जायेगी।

(ग) राज्य में समस्त वैकुअम चीनी के कारखाने सरकारी अधिसूचना संख्या 3158 (एच आई)/36-2-115 (एच0 आई0)/89, दिनांक 15 जुलाई, 1982 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित उक्त अधिसूचना को लागू करेंगे। इसी स्तर पर किये गये कारार पर इस सम्बन्ध में किये गये समझौते के निबन्धनों के अनुसार कार्यवाही की जाती रहेगी।

(घ) अधिसूचना संख्या 6321 (एच आई)/36-2-115 (एच आई) 89, दिनांक 21 नवम्बर, 1989 और चीनी कारखाने के लिये त्रिदलीय समिति में 26 सितम्बर, 1990 को हुई आम सहमति पर इस अधिसूचना में सम्यक् रूप से विचार किया गया है और उक्त अब इस अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार प्रवर्तित होगी।

(ङ) वही हुई मूल मजदूरी, स्थिर भत्ता, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदि के सम्बन्ध में वक़ायों का भुगतान विलम्बतम् 31 जनवरी, 1991 तक कर दिया जाएगा।

(च) पुनरीक्षित मजदूरी की दरें और अन्य लाभ 1 अक्टूबर, 1989 से देय होंगे।

(छ) यह आदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और 30 सितम्बर, 1993 तक प्रवृत्त बना रहेगा।

ब्राजा से,
मोहिन्दर सिंह,
सचिव।

परिशिष्ट-एक

चीनी उद्योग के लिये तृतीय मजदूरी बोर्ड चीनी के कारखानों में मानक नामावली आदि की सूची

क्रम. संख्या मानक नामावली (कुशलता का वर्गीकरण/श्रेणी)

अर्हता/अनुभव

सोपे गये कर्तव्य

अभ्युक्ति

1

2

3

4

5

1 विनिर्माता रसायन (परिवेशी-क)

विषय के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ विज्ञान में उपाधि और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर की सहस्रवर्षीय संस्थाओं या डेकन चीनी संस्थान, कानपुर या डेकन चीनी संस्थान पुणे की सहस्रवर्षीय संस्थाओं या डेकन चीनी संस्थान, पुणे में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ विज्ञान में उपाधि और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर या डेकन चीनी संस्थान, पुणे की सहस्रवर्षीय संस्थाओं या डेकन चीनी संस्थान, पुणे से प्रारंभ व्यापारिक में डिप्लोमा और पैन प्रमारी के रूप में पांच वर्षों का व्यवहारिक अनुभव या पैनपैन के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

2 प्रयोगशाला प्रमारी (परिवेशी-क)

प्रयोगशाला और उसके कामियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, प्रयोगशाला शिपों की संगणना, अनुसंधान और विकल्पों का प्रस्तुत करना और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सोपे जायें।

3 प्रधान पैन मैन (परिवेशी-ख)

पैन प्लॉट और क्वॉरिंग सेमिनार का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सोपे जायें।

4 पैन इंचार्ज (परिवेशी-ग)

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर या डेकन चीनी संस्थान, पुणे में पैन क्वॉरिंग का काम में डिप्लोमा और पैन मैन के रूप में, पैन प्रमारी के रूप में पांच वर्षों का अनुभव या पैन प्लॉट पर दस वर्षों का अनुभव।

पानी में पैन प्लॉट और पैन में रस उखालने का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सोपे जायें।

5 पैन मैन (अतिरिक्त)

सहायक पैन मैन के रूप में पांच वर्षों का अनुभव।

पानी में रस उखालना जैसा कि पानी के दौरान निर्देश दिया जाय और उससे आनुपूर्णाकार्य करना।

प्रत्येक पानी का बरिष्ठ पैन मैन पानी के पैन प्रमारी के रूप में पदाभिमति किया जायगा। यदि पानी में केवल एक पैन मैन हो और बाकी सहायक पैन मैन हों तो पैन मैन को पानी के पैन प्रमारी के रूप में पदाभिमति किया जायगा।

किसी पैन मैन को पैन मैन के रूप में पांच वर्षों की सेवा करने के पश्चात् अतिरिक्त श्रेणी में रखा जायगा।

मुख्य समय पाठ

निर्देश 100 के अ. वि०

निर्देश 100 के अ. वि०

अस्पृशिता

सौंपे गये कर्तव्य

अहंता/अनुभव

क्रम- नमि क सामाजिक (कुशलता) का वर्गीकरण/शिक्षण

5

4

1

3

वैन मैन की उसके तैलिक कार्य में सहायता करता और पैनो में निर्दिष्टानुसार रस उबालता ।

यदि कितने पदारी के पास अन्य विषयों के साथ विज्ञान में उपाधि हो तो उसे जो पत्रिका-न श्रेणी में, जैसा कि अब सुनरीक्षित किया गया है, रखा जानता ।

आरक्षण के संवाहन से सम्बन्धित विभिन्न सामग्रियों का विकल्प और प्रयोगात्मक में प्रयुक्त नमूनों और रसकों का नियंत्रण और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सौंपे जाय ।

विभाग के रूम में भौतिक वातावरण स्थापन और और गणित के साथ विज्ञान में उपाधि ।

6 सहायक वैन मैन (कुशल-ब)

7 प्रयोगशाला आवा रसायन (पत्रिका-ग)

8 विनिर्माण सहायक (कुशल-क)

रस शोधन (जुस क्लारीफिकेशन) की प्रक्रिया और/या स्टोरिंग सेकण्ट और क्लारीफिकेशन सेकण्ट में विभिन्न इकाइयों को सफाई के पर्यवेक्षण में मैनेजिंग केमिस्ट की सहायता करना; प्रतिवटा वाटर टैंकों की पी 0 एच 0 संख्या को इन्सुलेशन करना, इन्वेंट एण्ड आउट लेट कण्डेसर वाटर का तापमान लेना, सीरुम का बाल्युम तैल करना, कच्चा रस और सक्क उससे आनुपेक्षिक काय करना ।

उससे आनुपेक्षिक काय करना । प्रयोगशाला रसायन (लेबोरेटरी केमिस्ट) की उसके वैयक्तिक कार्य में सहायता करना और ऐसे कर्तव्य करना जो सौंपे जाय ।

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

9 प्रयोगशाला सहायक (कुशल-ख)

10 इन्फोरेटर ऑपरटर (कुशल-घ)

11 मैनेरेटन ऑटोमेट (कुशल-ग)

जहाँ अटॉमेटिक रिफिलिंग की व्यवस्था हो और सफ्त 4 के अश्रीत उरिन-खन कर्तव्यों का वाहन न किया जाना हो, वहाँ क्लैरिफिकेशन सेकण्ट 'मैनेरेटन ऑपरटर' कहा जाएगा और उसे यथा पुनर्निमित्त अहंता श्रेणी में रखा जानता ।

12 सोलेज रिफाईर
(अदकुशल)

शीरा की तोड़ना और तीव्र को अभिलिखित करना और उसके
आनुगुणिक कर लेना।

जहाँ आर्टोमेटिक रिफाईरिंग की व्यवस्था
हो और स्तम्भ-4 के अधीन उल्लि-
खित कर्तव्यों का पालन न किया
जाता हो, वहाँ कर्मकार को "मोले-
सेज मजदूर" कहा जायेगा और उसे
यथा पुनरोचित प्रमुशत धेनी में
रखा जायेगा।

13 जूस रिफाईर (अदकुशल)

जूस की तोड़ना और उसके तीव्र भाग तापमान को अभिलिखित
करना और उससे आनुगुणिक कार्य करना

जहाँ आर्टोमेटिक रिफाईरिंग की व्यवस्था
हो और स्तम्भ-4 के अधीन उल्लि-
खित कर्तव्यों का पालन न किया जाता
हो, वहाँ कर्मकार को "जूस मजदूर"
कहा जायेगा और उसे यथा पुनरोचित
प्रमुशत धेनी में रखा जायेगा।

14 सो 110 रिफाईर
(अदकुशल)

इंटरमीडिएट या उच्चतर मध्यमिक

15 मेट (अदकुशल)

जूस और अन्य द्रवों का निरीक्षण करना और उसे अभिलिखित
करना जैसा अपेक्षित हो और उससे आनुगुणिक कार्य करना।

16 जूस हीटर अडेन्डेंट
(अदकुशल)

सम्बन्धित स्टेशन के जहाँ दृढ़ लगात हो, कर्मकारों का पर्यवेक्षण
और नियंत्रण करना और उससे आनुगुणिक कार्य करना।

17 जूस हीटर मजदूर (प्रमुशत)

जूस हीटर का निरीक्षण और परिचालन करना और उससे आनु-
गुणिक कार्य करना।

18 फिल्टरिंग मजदूर अडेन्डेंट
(अदकुशल)

अनुशल कार्य करना जैसा निर्देश दिया जाय।

19 रोस्टरी प्रीमियम अडेन्डेंट
(अदकुशल)

फिल्टरिंग मजदूरों को अडेण्ड करना और उनका निरन्तर परिचालन
करना और उससे आनुगुणिक कार्य करना।

20 नेग्रेसिव मजदूर
(अदकुशल)

रोस्टरी प्रीमियम फिल्टरों का परिचालन और अनुसंधान करना
और उससे आनुगुणिक कार्य करना।

21 मजदूर अडेन्डेंट मजदूर (अदकुशल)

हाई स्पीड आर्टोमेटिक मेन्ट्रीफिकेगुलों का परिचालन करना।

22 मजदूर/इमान (अदकुशल)

अनुशल कार्य करना जैसा निर्देश किया जाय।

मजदूर/इमान 4 करने को भी नहीं
पायेगे।

मुख्य समय पाल

निर्देशक : 100 सि०
निर्देशक : 100 सि० (मजदूर)

1	3	4
23	भाकौर (शकुशल)	...
24	(क) लैव ब्याप (प्रद कुशल)	...
24	(ख) सैमूल व्वाप (शकुशल)	...
25	मवरूर (शकुशल)	...
26	बैग प्रिस्टाग मशीन भापरटेर (प्रद कुशल)	...
27	बैग सौविग मशीन भापरटेर (प्रद कुशल)	...
28	वाटर ड्रीडमेन्ट भापरटेर (प्रद कुशल)	...
29	फिल्टर कलाप वाजिग मशीन भापरटेर (प्रद कुशल)	...
30	दवाी (प्रद कुशल)	...

स्टेसिलों हो रह्युता नो बोनी ने बोनी नो किशुशन करत

यदि कौरों रह्युता डार (यना
स्टेसिल की सहजना के) तउती।
डलने का कार्य किशा जाय तो
संबंधित भाकौर को शकुशल श्रेणी
में रखा आवेगा।

प्रयोगशाला में कार्य करना और निश्चयेण के लिये नमनों को वेधार
रखना और उनमें शानुबंधिक कार्य करना।

कारखाने में विभिन्न स्तरों से प्रयोगशाला में निष्पत्तयेण के लिये
नमने लाना और ऐसे कार्य करना जेमा निदेश दिया जाय।
शकुशल कार्य करना जेमा निदेश दिया जाय।

यदि कोई मजरूरतेंगमा पमा स्टेटाम
या जल विखुन वा बोल्ड शूडवेन
मैगमा पय के साथ मैगमा को
प्रैण्ड करता है उसे शदकुशल
श्रेणी में रखा जायेगा और
मैगमा पयम श्रटेस्ट के
रूप में परामिहित किया जायेगा।

बैग प्रिस्टाग मशीन द्वारा बोनी के बोनी को ठगाइ क उरता और ससे
शानुबंधिक कार्य करना।

सौविग मशीन द्वारा बोनी के बोनी को मिनाई करना और उ ससे
शानुबंधिक कार्य करना।

वाटर मापडे निग प्लाट का परिचालन करना श्रेयसिन डिप्री तक
जल को कठोरता को बनीये रखना और उनमें शानुबंधिक कार्य
करना।

फिल्टर कलाप वाजिग मशीन का परिचालन करना और उ ससे
शानुबंधिक कार्य करना।

फिल्टर प्रेम कलाप की कटाई, मिनाई और मरम्भ करना और
कलाप रिचार्ज का कार्य करना।

नई श्रेणी
सीरप टंक को श्री सीरप के प्रवाह का पर्यवेक्षण नियंत्रण करना और प्रतिघटा टैंकों की संख्या का अभिलेख रखना।
अभियंत्रण विभाग।

मुख्य अभियंत्रता और/वा उप मुख्य अभियंत्रता को उसके कर्तव्यों के क्रियाविधय में सहायता करना, अपनी पाली में मशीनों के अनुसंधान, मरम्मत (ओवर हालिंग, माडीफिकेशन, और विस्तार आदि) की देखभाल करना और सीपे गये कार्यों को करना जिसके अन्तर्गत कार्यशाला की ड्राइंग का तैयार करना, और यदि अवेक्षित हों तो उसकी देखभाल भी करना है और उनसे अनुबंधित कार्य करना।

बहुत सड़कों, मशीनों, उपकरणों और प्रतिष्ठानों के परिचालन, अनुसंधान, मरम्मत और बनाने के लिये उत्तरदायी और मुख्य अभियंत्रता के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने अधीन कामियों का नियंत्रण और उनसे अनुबंधित कार्य करना। कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और कार्यशाला का अनुसंधान करना और उनसे अनुबंधित कार्य करना या सहायक अभियंत्रता (आविक) के मार्ग दर्शन और अनुदेश के अधीन सम्पूर्ण पाली के कार्य का पर्यवेक्षण करते सतत सहायक अभियंत्रता को उसके कर्तव्यों के क्रियावदन में सहायता करना जिसके अन्तर्गत (हेड) फिटरो आदि के कार्य का पर्यवेक्षण भी है।

निर्णय उद्योग में आविक उपकरणों के डिजाइन बर्क का आधारभूत बनाने हेतु चाहिये और मशीनों की जटिल (इन्टीकेट) ड्राइंग तैयार करने के योग्य होना चाहिये और उनसे अनुबंधित कार्य करना।

रहस्य: अस्मिता (विद्युत) के मार्ग दर्शन के अधीन या स्वतंत्र रूप से सामान्य पाली में विद्युत संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों और प्रतिष्ठानों के परिचालन, अनुसंधान, मरम्मत, और बनाने के लिये उत्तरदायी होना और उनसे अनुबंधित कार्य करना।

22. ६६ मीटर (75 फिट) के अर्धव्यास के भीतर किसी हीटिंग रूफ के सतत स्टाइरों के अनुसंधान और परिचालन के लिये उत्तरदायी होना, अपने अनुभाग में स्टाइलर कापिकों का पर्यवेक्षण और उनसे अनुबंधित कार्य करना।

1 सीरप टंक एंटेरहेण्ट

1 सहायक अभियंत्रता (आविक पर्यवेक्षी-क)

आविक अभियंत्रण में उपाधि स्तर चीनी उद्योग में कम से कम दो वर्ष का प्रैक्टिसरिप या राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कोलपुर से दो वर्ष का चीनी अभियंत्रण कार्यक्रम का पूरा करना।

2 सहायक अभियंत्रता (विद्युत पर्यवेक्षी-क)

विद्युत अभियंत्रण में उपाधि स्तर में कम से कम विद्युत कंट्रोल के अनुसंधान और चलाने में विद्युत उपकरणों के अनुसंधान में दो बर्क का अनुभव।

3 फोरमैन (आविक पर्यवेक्षी-ग)

4 इंपटर्मैन (पर्यवेक्षी-ग)

50 टो 100 टो 10 तथा दो वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्टरमिन का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिये।

5 फोरमैन (विद्युत पर्यवेक्षी-ग)

विद्युत अभियंत्रण स्तर में विद्युत इंटरस के इन्टेल उपवर्धित है।

6 स्टाइलर एंटेरहेण्ट (आति कुशल)

एन एपी का स्टाइलर वर्कप्लेस से सर्टिफिकेट प्राप्त करना है कि भारतीय स्टाइलर अभियंत्रण और विद्युत विभाग में नियुक्त हैं।

- छ--0.005 इंच की सीमा के भीतर रेती (फाइल) द्वारा सफ़स को तैयार करने के योग्य होना चाहिये, ज--एसे समस्त श्रोजारों और यंत्रों का ज्ञान होना चाहिये जो उसके ट्रेड के लिये अशिक्षित हो, डाइमेंशन स्केचिंग को समझने और उसके अनुसार काम करने योग्य होना चाहिये, ज--सफ़स प्लेट पर विभिन्न मशीनों के भागों की साधारण माकिंग कर सकते के लिये योग्य होना चाहिये, ट--सफ़स पर 1/2 इंच के वर्गाकार मुद्राख सही रूप में कर सकते के योग्य होना चाहिये, ठ--किसी प्रकार के ग्राइम मूवर (आई 0 सी 0 और स्टीम) से ट्रांस्पयगल मशीनों और पम्पों को खोलने और ओवरहाल करने और उन्हें पुनः प्रतिष्ठापित करने और उनके एलायनमेंट का ज्ञान होना चाहिये, और ड--उनसे आनुषंगिक कार्य करना।

सिद्धि श्रमियक्षण कार्य को अटेंड करना और उनका निष्पादन करना जैसा दिश रिखा गया हो और उनसे आनुषंगिक कार्य करना।
 विद्युत मशीनों, संयंत्रों की मरम्मत, ओवरहालिंग, परिचालन अत्ररक्षण करना और उनका पुनस्थापित करना जिसके अन्तर्गत ग्रामचर वाइडिंग भी है और उसमें आनुषंगिक कार्य करना।
 आर्मेचरोंक फील्ड क्वायलों अदि की वाइडिंग और मरम्मत करना विद्युत उपकरणों की मरम्मत और अत्ररक्षण और उनसे संबंधित कार्य करना।
 कारखाने के कर्मचारियों में प्रयुक्त चीनी मिल की मशीनों और उपकरणों की इंडिंग तैयार करने और इंडिंगों की ट्रेसिंग करने और उनसे संबंधित कार्य करने के योग्य होना चाहिये।
 उभा टर्नर-]] के लिये है और इसके अतिरिक्त, वकिंग स्केचिंग को समझने योग्य होना चाहिये। मापक यंत्रों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिये, ऐश मशीन पर सही-सही जाव की माकिंग करना जानना चाहिये, 0.005 इंच की शुद्धता तक टर्निंग वक करना जानना चाहिये, लैथ मशीन पर विनिर्दिष्ट आयाम तक मशीनों के योग्यता तैयार करने और उनमें आनुषंगिक कार्य करने की योग्यता होना चाहिये।

किसी भांगरता प्राप्त प्राविधिक संस्था से सिद्धि श्रमियक्षण में दिखाना।
 किसी औद्योगिक अत्ररक्षण संस्थान से इन्टरसमेंट का प्रमाण-पत्र।
 आई 0 टी 0 आई 0 5 माण पत्र और टर्नर के रूप में 2 वर्ष का और टर्नर-]] के रूप में दस वर्ष का अनुभव

- 10 ओवरसियर (पर्यवेक्षी-ग)
- 11 विद्युतकार (कुशल-क)
- 12 आर्मेचर वाइडर (कुशल-क)
- 13 इन्टरसमेंट-]] (अति कुशल)
- 14 टर्नर-]] (कुशल-क)।

मुख्य समय पाल
 निरुद्ध क. लि.
 किंबंदा (सिद्धि संघ)

